

सी.पी.एस. पीजी डिप्लोमा (शैक्षणिक सत्र 2021-23) हेतु ऑनलाईन काउन्सलिंग प्रक्रिया

// सूचना //

क्र./प्रशिक्षण/2022/261

भोपाल, दिनांक: 27/05/2022

1. ऑनलाईन काउंसलिंग- सी.पी.एस. पी.जी डिप्लोमा सीट्स पर प्रवेश हेतु चरणबद्ध काउंसलिंग की जायेगी। प्रथम चक्र में सीट आवंटन के पश्चात शेष रिक्त सीट्स की जानकारी विभागीय एवं एम.पी. ऑनलाईन की वेब साईट पर प्रकाशित की जायेगी। इच्छुक चिकित्सकों द्वारा निर्धारित 3 दिवस की अवधि में संशोधित Choice Filling एम.पी. ऑनलाईन द्वारा निर्मित विन्डो में इन्द्राज किया जाना होगा।
2. योग्यता - नीट पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सक (नियमित, संविदा एवं ओपन श्रेणी) सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा शैक्षणिक सत्र 2021-23 हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे, जिस हेतु श्रेणीवार न्यूनतम अंक (cut off marks) निम्नानुसार होंगे:-

S.No.	Category	NEET PG 2021 Cut Off Marks
1	Unreserved/EWS	247
2	SC/ST/OBC	210

3. पंजीयन प्रक्रिया - पंजीयन करने हेतु एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर नीट पी.जी. रोल नं. एवं जन्मतिथि से लॉग-इन करना होगा।
4. पंजीयन शुल्क - सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा के इच्छुक नीट पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सकों को एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर राशि रु. 500/- का पंजीयन शुल्क जमा कर पंजीयन किया जाना होगा।
5. एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा हेतु पंजीयन एक बार ही किया जा सकेगा। पंजीयन शुल्क का भुगतान करने वाले आवेदकों को ही काउंसलिंग के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय (मॉप-अप) चरण में प्रतिभागिता का अवसर दिया जावेगा।
6. वरीयता सूची का निर्धारण - पंजीयन प्रक्रिया उपरांत पंजीकृत चिकित्सकों की राज्य मेरिट सूची निम्न आधार पर तैयार की जावेगी:-
  - वरीयता निर्धारण हेतु संचालनालयीन विज्ञप्त शाखा द्वारा आवेदक सेवारत (नियमित/संविदा) चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण/आदिवासी/दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्रों में की गई सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष 10 अंको के मान से अधिकतम 30 अधिभार अंक जोड़कर गणना की जावेगी। तदनुसार पी.जी. नीट स्कोर तथा अधिभार अंक सम्मिलित करते हुए अंतिम वरीयता सूची निर्धारित की जावेगी।
  - उपरोक्तानुसार आवेदकों के अंतिम अंक एकरूप होने की स्थिति में चयन प्रक्रिया के मापदण्ड अनुसार आयु में वरिष्ठ आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।
  - अंतिम अंक एवं आयु एकरूप होने की स्थिति में आवेदकों के एम.बी.बी.एस. अंतिम वर्ष के अधिक प्रतिशत प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. आवेदकों को काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में च्वाइस फिलिंग के असीमित विकल्प भरा जा सकेगा।
8. च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया उपरांत सीट आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
9. अंतिम वरीयता सूची संचालनालयीन अनुमोदन उपरांत एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।
10. अभ्यर्थी चिकित्सकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर विकल्पों के चयन अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम से उपलब्ध सीट, पंजीकृत अभ्यर्थी के विकल्पों एवं आरक्षण का परस्पर मिलान करते हुए वरीयता क्रम से सीट आवंटन किया जाएगा।

17/6  
27/5/22

11. सीट आवंटन निम्नलिखित नियमों के आधार पर किया जावेगा:-

- प्रवेश हेतु प्रथमतः नियमित चिकित्सा अधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी एवं तदोपरान्त शेष रिक्त सीट्स पर प्रवेश हेतु संविदा चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्त में ओपन श्रेणी के चिकित्सकों को विचार में लिया जायेगा।
- सीट आवंटन प्रक्रिया में श्रेणीवार प्राथमिकता निम्नानुसार दी जावेगी:-

SN	Category	Seat Look-up 1	Seat Look-up 2
1	URXOP	URXOP	-
2	EWSXOP	URXOP	<b>EWSXOP</b> (EWS open candidate will 1 <sup>st</sup> look for UR Open seat, if seat is unavailable then candidate look for EWS Open seat)
3	OBCXOP	<b>URXOP</b> (OBC Open candidate will 1 <sup>st</sup> look for UR Open seat- only if UR eligible)	<b>OBCXOP</b> (if UR seat is unavailable or candidate is not UR eligible, then OBC Open candidate will look for OBC Open seat)
4	SCXOP	<b>URXOP</b> (SC Open candidate will 1 <sup>st</sup> look for UR Open seat- only if UR eligible)	<b>SCXOP</b> (if UR seat is unavailable or candidate is not UR eligible, then SC Open candidate will look for SC Open seat)
5	STXOP	<b>URXOP</b> (ST Open candidate will 1 <sup>st</sup> look for UR Open seat- only if UR eligible)	<b>STXOP</b> (if UR seat is unavailable or candidate is not UR eligible, then ST Open candidate will look for ST Open seat)
<p><b>*Note:</b>  <b>URXOP= UR Open, EWSXOP = EWS Open, OBCXOP = OBC Open, SCXOP= SC Open, STXOP = ST Open</b></p>			

12. सीट आवंटन के पश्चात शेष रिक्त सीट्स की जानकारी एम.पी. ऑनलाईन एवं विभागीय वेब साईट पर प्रकाशित की जायेगी।
13. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शासकीय संस्थानों द्वारा चयनित उम्मीदवारों की उपस्थिति अथवा निरस्तीकरण का प्रतिवेदन, G2G login/Govt. mail ID से ही किया जाना होगा।
14. संस्थानों से प्राप्त आवेदकों की उपस्थिति/निरस्तीकरण के प्रतिवेदन के आधार पर उपलब्ध रिक्त सीटों के आवंटन हेतु पुनः द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया की जावेगी।
15. द्वितीय चरण काउंसलिंग हेतु च्वाइस फिलिंग की पात्रता
- केवल पंजीकृत एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान कर चुके आवेदक
  - प्रथम चरण में आवंटित संस्था में उपस्थिति दर्ज न कराने वाले आवेदक
  - प्रथम चरण में सीट आवंटन न प्राप्त करने वाले आवेदक
  - पंजीयन उपरांत प्रथम चरण में काउंसलिंग में प्रतिभागिता न करने वाले आवेदक
16. उपरोक्त अनुसार च्वाइस फिलिंग उपरांत काउंसलिंग के द्वितीय चरण में सीट आवंटन की प्रक्रिया बिंदु क्र. 11 में वर्णित नियम अनुसार की जावेगी।

*Handwritten signature and date: 27/5/22*

17. ऑनलाईन काउंसलिंग के द्वितीय चक्र के दौरान आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी आवेदक उपलब्ध न होने की दशा में सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आवंटन निम्न क्रम से किया जावेगा: -

SN	Category	Seat Conversion
1	If SC candidate is unavailable & Seat is still vacant अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के आवेदकों को	SC seat shall be converted to ST Seat
2	If ST candidate is not available & Seat is still vacant अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को	ST seat shall be converted to SC Seat
3	If ST & SC candidate is not available & Seat is still vacant अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के रिक्तियों के विरुद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को	ST & SC seat shall be converted to OBC Seat
4	If OBC candidate is not available & Seat is still vacant उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित आवेदक उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को	OBC seat shall be converted to UR Seat

18. काउंसलिंग के द्वितीय चरण में सीट आवंटन प्रक्रिया के पश्चात् चयनित आवेदकों की सूची एम.पी. ऑनलाईन एवं विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जावेगी।
19. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थानों को चयनित आवेदकों की उपस्थिति अथवा निरस्तीकरण का प्रतिवेदन, G2G login/Govt. mail ID से ही किया जाना होगा।
20. काउंसलिंग के द्वितीय चरण में चयनित आवेदकों की उपस्थिति एवं निरस्तीकरण प्रक्रिया उपरांत शेष उपलब्ध रिक्त सीटों हेतु तृतीय काउंसलिंग (Mop-up Round) द्वारा आवंटन की प्रक्रिया की जावेगी।
21. काउंसलिंग के तृतीय चरण (Mop-up Round) में आरक्षित श्रेणी विशेष के अर्हताधारी आवेदक उपलब्ध न होने की दशा में, ऐसी समस्त रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता होगी।
22. काउंसलिंग के तृतीय चरण में रिक्त सीटों हेतु पुनः च्वाइस फिलिंग की जावेगी।
23. तृतीय चरण काउंसलिंग हेतु च्वाइस फिलिंग की पात्रता
- केवल पंजीकृत एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान कर चुके आवेदक
  - द्वितीय चरण में आवंटित संस्था में उपस्थिति दर्ज न कराने वाले आवेदक
  - द्वितीय चरण में सीट आवंटन न प्राप्त करने वाले आवेदक
  - पंजीयन उपरांत प्रथम एवं द्वितीय चरण में काउंसलिंग में प्रतिभागिता न करने वाले आवेदक
24. च्वाइस फिलिंग उपरांत काउंसलिंग के तृतीय चरण में सीट आवंटन की प्रक्रिया आवेदक की वरीयता (रैंक) एवं विकल्प के आधार पर की जावेगी। शेष रिक्त सीटें, अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित हो जाने के कारण, इन पर श्रेणीवार नियम लागू नहीं होंगे।
25. काउंसलिंग के तृतीय चरण में सीट आवंटन प्रक्रिया के उपरांत, चयनित उम्मीदवारों की सूची एम.पी. ऑनलाईन एवं विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जावेगी।
26. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थानों को चयनित उम्मीदवारों की उपस्थिति अथवा निरस्तीकरण का प्रतिवेदन, G2G login/Govt. mail ID से ही किया जाना होगा।
- नोट:-काउंसलिंग एवं सीट आवंटन की सारणी शीघ्र एम.पी. ऑनलाईन एवं विभागीय पोर्टल <http://www.health.mp.gov.in/en/training-orders> पर प्रकाशित की जावेगी।

(दिनेश श्रीवास्तव)  
संचालक 27/5/22

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.

**CPS PG Diploma Seat Distribution Matrix**

Academic Session 2021-23

S.No.	Name of the Institution	Subject	Total CPS PG Diploma Seats				
			Total Seats	ST	SC	OBC	UR
1	District Hospital, Bhopal	DGO	4	1	1	0	2
2		DCH	4	1	1	1	1
3		DA	2	1	0	0	1
4		DGM	4	1	0	1	2
5		DPB	2	1	0	0	1
6	District Hospital, Ratlam	DCH	2	1	0	0	1
7		DGM	2	0	1	0	1
8		DGS	4	0	1	1	2
9		DA	2	0	1	0	1
10	District Hospital, Ujjain	DCH	2	0	1	0	1
11		DGM	2	1	0	0	1
12		DGS	2	0	0	1	1
13	Civil Hospital, PC Sethi, Indore	DGO	2	0	0	1	1
14		DCH	2	0	0	1	1
15		DA	2	1	0	0	1
16	District Hospital, Mandsaur	DGS	4	1	1	0	2
17		DA	2	0	0	1	1
18	District Hospital, Hoshangabad	DGO	4	1	1	0	2
19		DGS	2	1	0	0	1
20	District Hospital, Shivpuri	DGO	2	0	1	0	1
21		DGS	2	0	0	1	1
22	District Hospital, Barwani	DGS	2	1	0	0	1
23	District Hospital, Chhindwara	DGO	2	0	0	1	1
24		DGM	2	1	0	0	1
25	District Hospital, Vidisha	DCH	2	1	0	0	1
26		DGM	2	0	1	0	1
27		DGS	2	0	0	0	2
28	District Hospital, Sehore	DGM	2	0	0	0	2
29		DPB	2	0	1	1	0
30	District Hospital, Shahdol	DGM	2	1	0	0	1
31		DGS	2	0	1	0	1
32	CH, Rani Durgawati, Jabalpur	DGO	4	1	1	0	2
33	District Hospital, Sagar	DGO	2	1	0	0	1
34	District Hospital, Satna	DCH	2	0	0	0	2
35	District Hospital, Khandwa	DGM	2	0	1	0	1
36	Kamla Nehru Gas Rahat Hospital, Bhopal	DGM	2	0	0	1	1
37	Indira Gandhi Gas Rahat Hospital Bhopal	DGO	2	0	0	1	1
38	Mansik Arogya Shala, Gwalior	DPM	4	1	1	1	1
	Total CPS PG Diploma Seats		92	18	15	13	46

Note: 10% Seats shall be reserved for EWS candidates.

*DM*  
27/5/22